# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 07 / 2023

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1 पीरा पुत्र वरधा, जाति–देवासी निवासी–फालना, तहसील व जिला सांचौर | | राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर |

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

**:– निर्णय :–** **दिनांक** :– 25.07.2024

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के वाके ग्राम फालना पटवार मण्डल हाडेतर तहसील सांचौर के पुराने खसरा संख्या 118 / 3 मीन जिसके नवीन खसरा नंबर 151 रकबा 0.31 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 151 / 299 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर सृजित हुए है, जिसमे मुझ प्रार्थी का पूर्वजों के समय से रहवासी ढाणी बनी हुई है एवं हम परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त आराजी के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जालोर के द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ12(3)(19)राज / 81 / 3937 दिनांक 26.10.1981 के द्वारा पुराने खसरा संख्या 118 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 77 खोला जाकर ग्राम पंचायत कारोला द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त भूमि आबादी से सटी हुई एवं पूर्व से आबादी की बसावट थी। उक्त नामान्तरकरण द्वारा खसरा संख्या 118 / 3 रकबा 2 बीघा सृजित हुआ। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त आबादी भूमि खसरा संख्या 151 रकबा 0.31 है व खसरा संख्या 151 रकबा 0.01 हैक्टेयर को आबादी भूमि दर्ज नहीं कर लिपिकीय त्रुटि से क्रमशः गैर मुमकिन बाड़ा एवं गैर मुमकिन बैरा दर्ज कर दिया है, जो गलत है। श्रीमान जिला कलक्टर जालोर के उपरिवर्णित आदेश से यह बखूबी साबित है कि उक्त खसरों की भूमि आवंटन के समय से ही राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज थी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम फालना, पटवार मण्डल हाडेतर, तहसील सांचौर के नवसृजित खसरा संख्या 151 रकबा 0.31 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा एवं खसरा संख्या 151 / 299 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी कर उक्तानुसार [illegible] करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज [illegible] तहसीलदार सांचौर ने [illegible] लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि द्वितीय भू–प्र[illegible] के समय मौके पर बाड़ा [illegible] होने से राजस्व रेकर्ड में तद्नुसार ही अमल दरामद की गई है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें। बहस प्रार्थी व सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। बहस प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमान जिला कलक्टर, जालोर के आदेश क्रमांक एफ12(3)(19)राज/81/3937 दिनांक 26.10.1981 के द्वारा मूल खसरा संख्या 118 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु तद्समय किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 77 द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि 118/3 रकबा 2 बीघा का ग्राम पंचायत कारोला द्वारा तस्दीक किया गया। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा संख्या 118/3 मीन रकबा 02 बीघा से खसरा संख्या 151 रकबा 0.31 हैक्टेयर व खसरा संख्या 15/299 रकबा 0.01 हैक्टेयर सृजित हुए।

उपर्युक्त विवेचनानुसार हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाके ग्राम फालना पटवार मण्डल हाड़ेतर तहसील सांचौर के पुराने खसरा संख्या 118/3 से नवसृजित खसरा संख्या 151 एवं 151/299 को श्रीमान जिला कलक्टर जालोर द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ आंवटित किया गया था। द्वितीय भू-प्रबंध कार्मिकों द्वारा उक्त खसरा नंबरान् की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन बाड़ा एवं गैर मुमकिन बेरा दर्ज कर दी गई, जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, अतः उनका यह आदेश/कार्य आधारहीन एवं त्रुटिपूर्व है, जो आरम्भतः शून्य है, अतः खसरा संख्या 151 रकबा 0.31 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 151/299 रकबा 0.01 हैक्टेयर की शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुए किस्म गैर मुमकिन आबादी शुद्धि किया जाना विधिसंगत समझते है।

## :— आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसील सांचौर के पटवार मण्डल हाड़ेतर के ग्राम फालना के खसरा संख्या 151 रकबा 0.31 हैक्टेयर व खसरा संख्या 151/299 रकबा 0.01 हैक्टेयर में जमाबंदी की शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुए किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने के लिए तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नंबर से एक कम होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:37:49 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner